

नगर परिषद संतोषगढ़, तहसील हरोली, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का

अंकेक्षण एवम् निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1-04-2016 से 31-03-2018

भाग-एक

1 (क) प्रारम्भिक

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 1-376 / 81 - फिन (एल०ए०) -खण्ड – iv, दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत नगर परिषद संतोषगढ़ के लेखों का अंकेक्षण कार्य किया गया।

अंकेक्षण अवधि 01.04.2016 से 31.03.2018 तक नगर परिषद संतोषगढ़ के प्रधान व कार्यकारी अधिकारी के पद पर निम्न पदाधिकारी कार्यरत रहे :-

(i) प्रधान

क्र० सं०	नाम	पद नाम	अवधि
1	श्रीमती बीना देवी	प्रधान	1-04-2016 से 5-07-2017 तक
2	श्री गुरदेव सिंह हीर	उप-प्रधान (कार्यवाहक प्रधान)	6-07-2016 से 25-09-2017 तक
3	श्रीमति अमरावती	प्रधान	26-09-2017 से 31-03-2018 तक

(ii) कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्रीमति वर्षा चौधरी	1-04-2016 से 31-03-2018

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार

नगर परिषद संतोषगढ़ के अवधि 01.04.2016 से 31.03.2018 तक के लेखाओं के अंकेक्षण में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्नलिखित है:-

क्र० सं०	गम्भीर अनियमितता का संक्षिप्त विवरण	पैरा सं०	राशि ₹ (लाखों में)
1	सावधिक निवेश पर बैंक द्वारा कम ब्याज प्रदान करना	7 (घ)	0.39

2	सावधिक जमा योजना के अन्तर्गत गत वर्षों में निवेशित राशियों व निवेशित राशियों पर अर्जित ब्याज का रोकड़ बही में लेखांकन न करना	7 (ड.)	60.54
3	अनुदानों की राशि व्यय हेतु शेष	8 (ख)	175.59
4	गृहकर राजस्व वसूली हेतु शेष	9 (क)	71.92
5	गृह कर की बकाया राशि पर नियमानुसार सरचार्ज न लगाने के कारण वित्तीय हानि	9 (ख)	7.19
6	वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान निर्धारित तिथियों के उपरान्त गृहकर में अनाधिकृत छूट देने के कारण राजस्व हानि	9 (ग)	0.38
7	दुकानों के किराए की राशि वसूली हेतु शेष	10 (क)	14.11
8	चूल्हा टैक्स की बकाया राशि वसूली हेतु शेष	11	4.48
9	ईट भट्टा मालिकों से देय शुल्क वसूली हेतु शेष	12	0.28
10	मोबाईल टावरों के स्थापना / नवीनीकरण शुल्क वसूली हेतु शेष	13	2.06
11	सेवा कर वसूली हेतु शेष	14	1.57
12	स्वीकृत बजट राशि की तुलना में अधिक व्यय करना	18	122.38
13	न्यूनतम दर संविदा वाले ठेकेदार को सफाई का ठेका न देने के कारण वित्तीय हानि	19	1.12
14	ठेकेदार को अप्रत्यक्ष लाभ देने के कारण वित्तीय हानि	20	3.60
15	गलत वेतन निर्धारण के कारण कर्मचारियों को वेतन एवम भत्तों का अधिक भुगतान	21	0.94
16	अनुदान की शर्तों के विरुद्ध अनुदान राशि को बिना कार्य करवाए सीधे लाभार्थी संस्थाओं को चेक से नकद वितरित करना	22	11.90
17	विचलन (Deviation) राशि की सक्षम अधिकारी से स्वीकृति प्राप्त किये बिना ठेकेदार को अनियमित भुगतान करना	25	5.02
18	अतिरिक्त मदों की सक्षम अधिकारी से अनुमोदित एवं स्वीकृति करवाए बिना निष्पादन एवं ठेकेदार को भुगतान करना	26	2.60
19	नियमों के विपरीत सुरक्षित अग्रिम प्रदान करके ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुँचाना	27	4.00
20	निर्माण कार्य बिलों से स्रोत पर श्रम कर की कटौती न करना	28	1.11

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के सम्मिलित अनिर्णीत पैरों के निपटारे हेतु कोई भी कार्यवाही नहीं की गई थी जिसके फलस्वरूप गम्भीर प्रकृति के पैरों व अन्य पैरों का कई वर्ष बीत जाने के उपरांत भी समायोजन / निपटारा संभव नहीं हो सका ! अतः यह प्रकरण उच्चाधिकारियों के ध्यान में इस आशय से लाया जाता है कि नगर परिषद अधिकारियों को गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित विभिन्न प्रकार के पैरों और विशेषकर अत्यन्त गम्भीर प्रकृति की आपतियों से सम्बन्धित पैरों के निपटारे हेतु समयबद्ध ढंग से ठोस कार्यवाही करने हेतु उचित निर्देश जारी किए जाएँ ताकि गत वर्षों के अनिर्णीत पैरों का समायोजन सम्भव हो सके । गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित पैरों की नवीनतम स्थिति का विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट- (क) पर दिया गया है ।

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

नगर परिषद संतोषगढ़ के लेखाओं अवधि 1-04-2016 से 31-03-2018 तक का अंकेक्षण कार्य श्री राजकुमार, अनुभाग अधिकारी व श्री सुशील कुमार, आर्टिकल सहायक द्वारा अवधि 19-09-2018 से 26-10-2018 तक के दौरान संतोषगढ़ में किया गया, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिये गये हैं । लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया :-

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2016-17	3/17	7/16
2017-18	3/18	6/17

प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान अंकेक्षण एवम् निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद संतोषगढ़ द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है I नगर परिषद द्वारा प्रदान की गई किसी भी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना प्रदान न करने के कारण वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन पर पड़ने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा I

3 अंकेक्षण शुल्क

नगर परिषद के अवधि 01.04.16 से 31.03.18 तक के लेखाओं के अंकेक्षण एवम् निरीक्षण का अंकेक्षण शुल्क ₹ 46400 आँका गया । कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद

संतोषगढ़ से अनुभाग अधिकारी की अंकेक्षण अधियाचना संख्या - 298 दिनांक 25-10-2018 द्वारा उक्त राशि को निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला-9 को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भेजने हेतु अनुरोध किया गया I उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को पी० एन० बी० संतोषगढ़ के बैंक ड्राफ्ट संख्या: 327232 दिनांक 26-10-2018 द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा विभाग, शिमला -9 के नाम पंजीकृत डाक द्वारा भेज दिया गया है | अंकेक्षण शुल्क का विवरण परिशिष्ट - (क - 1) पर दिया गया है I

4 वित्तीय स्थिति

नगर परिषद संतोषगढ़ के लेखाओं अवधि 01.04.16 से 31.03.18 तक के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट - (ख) पर भी दिया गया है: -

वर्ष 2016-17

वित्तीय वर्ष	शीर्ष	आरम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	ब्याज (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2016-17	स्वयं स्रोत	296418	1989272	1198094	3483784	2363964	1119820
	अनुदान	15789316	22069234	0	37858550	21143429	16715121
	योग	16085734	24058506	1198094	41342334	23507393	17834941
2017-18	स्वयं स्रोत	1119820	3165526	1027680	5313026	4004091	1308935
	अनुदान	16715121	21737713	0	38452834	20894294	17558540
	योग	17834941	24903239	1027680	43765860	24898385	18867475

(क) बैंक समाधान विवरण

क्रमांक	विवरण	राशि (₹)
(i)	दिनांक 31.03.2018 को रोकड़ बही के अनुसार अन्तिम शेष	18867475
(ii)	जमा (+) चैक निर्गमित किए गए लेकिन दिनांक 31.03.2018 तक भुगतान हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए थे	

क्रम संख्या	चैक संख्या	चैक जारी करने की तिथि	बैंक का नाम	राशि (₹)
1	64410	7-03-18	के०सी० सी० बी० संतोषगढ़	13986
2	64415	15-03-18	के० सी० सी० बी० संतोषगढ़	4800

3	592269	31-3-18	पी० एन० बी० संतोषगढ़	16442	
			योग	35228	(+) 35228

(iii) जमा (+) बैंक द्वारा ब्याज का जमा प्रदान किया गया लेकिन दिनांक 31-03-18 तक रोकड़ बही के आय पक्ष में ब्याज दर्ज नहीं किया गया था

क्रम संख्या	खाता संख्या	दिनांक	राशि (₹)	
1	2140082569	28-02-18	1341	
2	2140111434	28-02-18	32	
3	2140107631	28-02-18	136	
		योग	1509	(+) 1509

(iv) जमा (+) दिनांक 10.6.14 में अधिक जमा करवाई गई राशि (खाता संख्या 4015000100004395) (गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/14 से 3/16 तक के पैर संख्या 4.1 के अनुसार) (+) 3729

(v) घटाव (-) हस्तगत रोकड़ शेष दिनांक 31.3.18 (-) 31433

(vi) घटाव (-) चैक जो बैंक में जमा करवाए लेकिन जिनका 31-3-18 तक बैंक द्वारा जमा (क्रेडिट) प्रदान नहीं किया गया था

क्रम संख्या	चैक संख्या	जमा करवाने की तिथि	राशि (₹)	
1	32259	29-03-18	6250	
2	227549	29-03-18	5355	
3	460554	31-03-18	62388	
		योग	73993	(-) 73993

दिनांक 31.3.18 को बैंक में जमा शेष राशि (निम्न (ख) में प्रस्तुत विवरणानुसार) 18802515

(ख) दिनांक 31-03-2018 को अन्तिम शेष का विवरण

(i) बचत खातों में जमा शेष राशि

क्र०सं०	खाता सं०	बैंक का नाम	राशि (₹)
1	4015000100004395	पंजाब नेशनल बैंक संतोषगढ़	2262464
2	4015000102575978	पंजाब नेशनल बैंक संतोषगढ़	315678
3	4015000102587876	पंजाब नेशनल बैंक संतोषगढ़	193101
4	2140082569	स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया संतोषगढ़	156773
5	2140111434	स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया संतोषगढ़	3791
6	20026007203	काँगडा सेंट्रल को-आपरेटिव बैंक संतोषगढ़	851239
7	2140107631	स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया संतोषगढ़	13796
8		पी० एल० ए० ऊना	5509
9		डाक घर संतोषगढ़	164
		योग	3802515
			3802515

(ii) सावधिक जमा में शेष राशि

क्रम सं०	खाता संख्या	बैंक का नाम	राशि (₹)
1	401500PU00011409	पंजाब नेशनल बैंक संतोषगढ़	15000000
			15000000
		क्रम संख्या (i) व (ii) का कुल योग (3802515+15000000)	18802515

(ग) डाकघर संतोषगढ़ में दिनांक 31-03-18 को ₹ ₹164 की राशि शेष जमा दर्शाई गई थी परन्तु उक्त खाते की पास बुक तथा दिनांक 31-03-18 तक उक्त खाते में जमा राशि का प्रमाण पत्र आवश्यक जांच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः उक्त खाते की पास बुक व अपेक्षित प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किये जाने सुनिश्चित किए जाए।

(घ) पी० एल० ए० ऊना, में दिनांक 31-03-18 को ₹ ₹5509 की राशि शेष जमा दर्शाई गई थी परन्तु उक्त खाते की पास बुक तथा दिनांक 31-03-18 तक उक्त खाते में जमा राशि का प्रमाण पत्र आवश्यक जांच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः अपेक्षित प्रमाण पत्र व उक्त खाते की पासबुक आगामी अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए।

5 नगर परिषद संतोषगढ़ के गत तीन वर्षों की आय व व्यय का विवरण

नगर परिषद संतोषगढ़ की गत तीन वर्षों की आय व व्यय का विवरण निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष	आय (₹)	व्यय (₹)
2015-16	21404936	23110981

2016-17	25256600	23507393
2017-18	25930919	24898385

6 निवेश

नगर परिषद द्वारा परिषद निधि से दिनांक 31.03.2018 तक सावधिक निवेश के अन्तर्गत निवेशित राशि का विवरण निम्नानुसार है तथा जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट - (ख-1) पर भी दिया गया है।

क्रम संख्या	एफ० डी० संख्या / बैंक का नाम	निवेश की तिथि	निवेशित राशि (₹)	परिपक्वता तिथि	परिपक्वता राशि (₹)	ब्याज दर (₹)	अवधि
1	401500PU00011409 / पी० न० बी० संतोषगढ़	02-01-18	15000000	2-01-19	15881277	5.75%	1 वर्ष

अतः उक्त सावधि जमा को समय पर भुनाने या पुनः निवेश किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

7 पेंशन एवम् उपदान निधि

(क) वित्तीय स्थिति

नगर परिषद द्वारा परिशिष्ट - (ग) पर अंकेक्षण को प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार पेंशन एव उपदान निधि की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है:-

वित्तीय वर्ष	आरम्भिक शेष (₹)	आय (₹)	ब्याज (₹)	कुल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2016-17	2077254.17	906484	97791	3081529.17	233622.93	2847906.24
2017-18	2847906.24	932857	102188	3882951.24	1256430.65	2626520.59

दिनांक 31-03-2018 तक बैंक बचत खातों व सावधिक निवेश के अन्तर्गत जमा शेष राशि का विवरण

क्रम संख्या	खाता संख्या	बैंक का नाम	राशि (₹)
1	4015000100026229	पी०एन०बी० संतोषगढ़	2626520.59
2	सावधिक निवेश के अन्तर्गत निवेशित राशि		6054063.00
योग			₹8680583.59

(ख) सावधिक निवेश

दिनांक 31.03.2018 तक सावधिक निवेश के अन्तर्गत निवेशित राशि का विवरण निम्नानुसार है जिसका विवरण परिशिष्ट - (ग-1) पर भी दिया गया है:-

क्र०सं०	एफ० डी० संख्या/ बैंक का नाम	निवेश की तिथि	निवेशित राशि (₹)	परिपक्वता तिथि	परिपक्वता राशि (₹)	ब्याज दर	अवधि
1	4015000PR00009324/ DP-2967/पी० न० बी० संतोषगढ़	8-02-18	1730351	8-02-21	2099621	6.50%	3 वर्ष
2	4015000PR00011031/ DP-2897/पी० न० बी० संतोषगढ़	8-02-15	988218	8-02-18	1281227	8.75%	3 वर्ष
3	401500DA00004517 /पी० न० बी० संतोषगढ़	7-09-17	1676050	7-09-20	2033732	6.50%	3 वर्ष
4	401500DA00006588 /पी० न० बी० संतोषगढ़	10-12-15	1180082	10-12-18	1463947	7.25%	3 वर्ष
5	401500PR00007414 /पी० न० बी० संतोषगढ़	27-04-15	479362	27-04-18	616948	8.50%	3 वर्ष
		योग	₹6054063				

अतः उपरोक्त सावधि जमा में निवेशित राशियों को निर्धारित समय पर भुनाया या पुनः निवेश किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

(ग) दिनांक 8-02-15 को सावधिक निवेश संख्या 4015000PR00011031 के अन्तर्गत निवेशित राशि ₹988218 की परिपक्वता तिथि 8-02-18 थी लेकिन उक्त सावधिक निवेश के अन्तर्गत निवेशित राशि का नवीनीकरण नहीं करवाया गया था । अतः उक्त सावधिक निवेश के अन्तर्गत निवेशित राशि का दिनांक 8.2.18 से नवीनीकरण करवाने उपरान्त सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

(घ) सावधिक निवेश पर बैंक द्वारा ₹0.39 लाख का कम ब्याज प्रदान करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद् द्वारा पेंशन एवम उपदान निधि से पी० एन० बी० संतोषगढ़ में वितीय वर्ष 2016-17 व 2017-18 के दौरान सावधिक जमा में निवेशित राशियों पर बैंक ने परिपक्वता पर देय ब्याज की अपेक्षा कम ब्याज दिया गया है जिसके कारण परिषद् को ब्याज के रूप में निम्नानुसार ₹ ₹39138 कम प्राप्त हुए हैं :-

क्रम संख्या	एफ० डी० संख्या	निवेश की तिथि	निवेशित राशि (₹)	परिपक्वता तिथि	परिपक्वता योग्य राशि (₹)	परिपक्वता तिथि को प्राप्त/पुनः निवेशित राशि (₹)	कम प्राप्त ब्याज की हानि
1	401500DA00004517	23-08-14	1308424	7-09-17	1715188	1676050	39138

उक्त वर्णित अनियमितता अंकेक्षण अधियाचना संख्या - 297 दिनांक 25-10-18 द्वारा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद के ध्यानार्थ आवश्यक कार्यवाही करने हेतु लाई गई थी लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रतियुतर प्राप्त नहीं हुआ I अतः परामर्श दिया जाता है कि उक्त ब्याज स्वरूप कम प्राप्त हुई राशि ₹ ₹39138 की वसूली हेतु प्रकरण सम्बन्धित बैंक से उठा कर राशि की वसूली सुनिश्चित की जाए तथा कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ड) सावधिक जमा योजना के अन्तर्गत गत वर्षों में निवेशित ₹52.91 लाख व निवेशित राशियों पर अर्जित ब्याज ₹7.63 लाख = कुल ₹60.54 लाख का रोकड़ बही में लेखांकन न करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद् द्वारा पेंशन एवं उपदान निधि से गत वर्षों में सावधिक जमा योजना के अन्तर्गत राशियां पी० एन० बी० संतोषगढ़ में निवेशित की गई थी तथा जिनकी परिपक्वता पर समय-समय पर ब्याज अर्जित हुआ है, लेकिन निम्न विवरणानुसार न तो निवेशित राशियों और न ही निवेशित राशि पर समय-समय पर अर्जित ब्याज का रोकड़ बही में लेखांकन किया गया था जोकि अत्यन्त गम्भीर वित्तीय अनियमितता है I उक्त अनियमितता गत अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/14 से 3/16 के पैरा संख्या -17 द्वारा भी परिषद के ध्यान में लाई गई थी लेकिन इसके बावजूद भी कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई जोकि गम्भीर चिन्ता का विषय है I अतः वर्णित अनियमितता शहरी विकास विभाग के उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ तुरन्त अपेक्षित कार्यवाही करने के प्रयोजन से लाई जाती है ताकि भविष्य में किसी दुर्विनियोजन की सम्भावना को नकारा जा सके:-

क्र० सं०	एफ० डी० संख्या/ बैंक का नाम	निवेश की तिथि	निवेशित राशि (₹)	परिपक्वता तिथि	परिपक्वता राशि (₹)	ब्याज दर	अवधि	अर्जित ब्याज (₹)
1	4015000PR00009324/ DP-2967/पी० न० बी० संतोषगढ़	8-02-15	1334630	8-02-18	1730351	8.75%	3 वर्ष	395721
	4015000PR00009324/ DP-2967/पी० न० बी० संतोषगढ़	8-02-18	1730351	8-02-21	2099621	6.50%	3 वर्ष	-
2	4015000PR00011031/ DP-2897/पी० न० बी० संतोषगढ़	8-02-15	988218	8-02-18	1281227	8.75%	3 वर्ष	-
3	401500DA00004517/ पी० न० बी० संतोषगढ़	25-08-14	1308424	7-09-17	1715188	9%	3 वर्ष	367626
	401500DA00004517/ पी० न० बी० संतोषगढ़	7-09-17	1676050	7-09-20	2033732	6.50%	3 वर्ष	-
4	401500DA00006588/ पी०	10-12-15	1180082	10-12-18	1463947	7.25%	3 वर्ष	-

	न० बी० संतोषगढ़							
5	401500PR00007414/ पी० न० बी० संतोषगढ़	27-04-15	479362	27-04-18	616948	8.50%	3 वर्ष	-
							योग	763347

8 अनुदान

(क) वित्तीय स्थिति

अंकेक्षण अवधि 01.04.16 से 31.03.18 तक विभिन्न संस्थाओं से नगर परिषद को प्राप्त अनुदान राशियों की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार है। विस्तृत विवरण इस प्रतिवदेन के परिशिष्ट - (घ) पर दिया गया है।

वित्तीय वर्ष	आरम्भिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त राशि (₹)	कुल योग (₹)	वर्ष के दौरान व्यय राशि (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2016-17	15789316	22069234	37858550	21143429	16715121
2017-18	16715121	21737713	38452834	20894294	17558540

(ख) अनुदानों की राशि ₹ ₹175.59 लाख व्यय हेतु शेष

अंकेक्षण को यथा परिशिष्ट - (घ) उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-03-2018 को विभिन्न स्रोतों प्राप्त अनुदान राशियों में से ₹ ₹17558540 व्यय हेतु शेष थे। अनुदान राशियों को निर्धारित समयावधि के भीतर निर्धारित उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु व्यय न कर पाने के कारण जहाँ एक ओर अनुदान निधि का अनावश्यक अवरोधन हुआ है वहीं दूसरी तरफ नगर परिषद के विकासात्मक कार्य भी प्रभावित हुए हैं तथा जनता को भी प्राप्त होने वाले लाभों से वंचित होना पड़ा है।

अतः अनुपयोग अनुदानों की राशि को समयबद्ध उपयोग न किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए इसे सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात निर्धारित उद्देश्यों एवं लक्ष्यों हेतु समयबद्ध व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यर्पण सम्बन्धित विभाग को किया जाए और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ग) अनुदानों से व्यय ₹ ₹420.37 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्रों को अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करना

अंकेक्षण को यथा परिशिष्ट-(घ) उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान अनुदानों में से वित्तीय वर्ष 2016-17 में ₹ ₹21143429 व 2017-18 में ₹ ₹20894294 कुल ₹ ₹42037723 का व्यय किया दर्शाया गया था लेकिन अनुदान की राशि जिन जिन उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु नगर परिषद द्वारा व्यय की गई है की सत्यापना अंकेक्षण के दौरान सम्भव न हो सकी क्योंकि नगर परिषद द्वारा न तो अनुदान रजिस्टर को व न ही अनुदानों के व्यय से सम्बन्धित जारी किये गये उपयोगिता प्रमाण पत्रों को सत्यापना हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया I अतः अंकेक्षण अवधि के दौरान प्रत्येक अनुदान राशि के व्यय से सम्बन्धित सम्पूर्ण ब्यौरा जैसे कि माह / दिनांक, बिल / वाऊचर इत्यादि से सम्बन्धित विवरण अनुदान रजिस्टर में दर्ज किए जाएं व सम्पूर्ण अभिलेख जारी किये गए उपयोगिता प्रमाण पत्रों सहित सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए I

9 गृहकर

(क) दिनांक 31-03-2018 को गृहकर बकाया ₹71.92 लाख वसूली हेतु शेष

नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण को परिशिष्ट (ड.-1) पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.2018 को गृहकर बकाया ₹ ₹7192119 वसूली हेतु शेष था I हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल एक्ट 1994 के प्रावधानानुसार यदि कोई राशि / टैक्स म्युनिसिपल शुल्क इत्यादि के रूप में देय हो व देय तिथि के 15 दिन बाद भी अदत रहता है तो सम्बन्धित नगर परिषद/ नगर पंचायत लिखित में सम्बन्धित फर्म, संस्था अथवा व्यक्ति को विहित प्रपत्र पर नोटिस जारी करेगा | नियम 258 के उपनियम (2) व (3) के अनुसार यदि सम्बन्धित फर्म संस्था अथवा व्यक्ति नोटिस जारी होने के 15 दिन के भीतर भी नगर परिषद / नगर पंचायत/नगर निगम को देयकर का भुगतान नहीं करता है तो सम्बन्धित सचिव देय कर राशि खर्चों व लागत सहित वसूलने हेतु निर्धारित एवम् विहित प्रपत्र पर सम्बन्धित फर्म संस्था अथवा व्यक्ति को वारंट जारी करेगा तथा वारंट जारी करने के बाबजूद भी भुगतान न करने की स्थिति में सम्पूर्ण प्रकरण जिला समाहर्ता को वसूली हेतु प्रेषित करना अपेक्षित है | परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि नगर परिषद द्वारा इस सन्दर्भ में कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई थी I अतः परामर्श दिया जाता है कि गृह कर की वसूली हेतु नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए I

(ख) गृह कर की बकाया राशि पर नियमानुसार सरचार्ज न लगाने के कारण ₹ ₹7.19 लाख की वित्तीय हानि

निदेशक शहरी विकास विभाग हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या UD-H(B)(15)-4-99 दिनांक 20-06-03 के अनुसार चालू वर्ष का गृह बिल जारी होने के उपरान्त 10 दिनों के भीतर कर जमा करवाने पर, कर की राशि पर 20% की छूट दी जानी अपेक्षित थी, परन्तु निर्धारित समय अवधि पर कर की राशि जमा न करवाने पर बकाया राशि पर 10% की दर से सरचार्ज लगाया जाना अपेक्षित था | अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि नगर परिषद द्वारा यद्यपि निर्धारित समय पर कर चुकाने पर 20% की छूट तो दी गई थी परन्तु निर्धारित समय पर कर न चुकाने पर बकाया राशि पर 10% की दर से देय सरचार्ज नहीं लगाया गया था, जिसके कारण नगर परिषद को दिनांक 31-03-18 तक गृह कर की वसूली हेतु शेष राशि ₹ ₹7192119 पर 10% सरचार्ज के रूप में ₹ 719212/= (7192119 x 10%) की वित्तीय हानि उठानी पड़ी जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है I वर्णित अनियमितता अंकेक्षण अधियाचना संख्या – 289 दिनांक 20-10-2018 द्वारा कार्यकारी अधिकारी, के ध्यान में वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु लाई गई थी लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रतियुत्तर प्राप्त नहीं हुआ I अतः सरचार्ज न लगाने का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा समय पर गृह कर न चुकाने वाले गृह कर दाताओं की बकाया राशि पर नियमानुसार देय सरचार्ज निर्धारित करके वसूल जाना सुनिश्चित किया जाए और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए I

(ग) छूट हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि के उपरान्त भी गृहकर में अनाधिकृत छूट देने के कारण ₹0.38 लाख की राजस्व हानि

गृहकर का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि कार्यवाही रजिस्टर पेज संख्या 27 प्रस्ताव संख्या –186 दिनांक 16-02-17 के अनुसार “हाउस टैक्स पर 20% की छूट उन व्यक्तियों को दी जाए जो कि सुनिश्चित समय अर्थात् 30 दिनों के भीतर चालू वित्त वर्ष का टैक्स जमा करवाते हैं” लेकिन कि निर्धारित अन्तिम तिथि अर्थात् 31-03-2017 के उपरान्त भी गृहकर में 20% की अनाधिकृत छूट प्रदान करने के कारण परिषद को ₹37663 के गृहकर राजस्व की हानि हुई है जिसका विवरण परिशिष्ट – छ पर दिया गया है I गृहकर में 20% की अनाधिकृत छूट प्रदान करने के कारण हुई हानि का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या –287 दिनांक 16-

10-2018 द्वारा कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् के ध्यानार्थ नियमानुसार वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु ध्यानार्थ लाया गया था, लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रतियुत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः वर्णित अनियमितता का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा राजस्व

हानि ₹37663 का उतरदायित्व निर्धारण करने के उपरान्त राशि की सम्बन्धित से वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए और कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10 दुकानों का किराया

(क) दुकानों के किराये की बकाया राशि ₹14.11 लाख वसूली हेतु शेष

नगर परिषद् द्वारा अंकेक्षण को यथा परिशिष्ट (ड.-2) उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-03-2018 को किराये के रूप में ₹ ₹1410510 की राशि वसूली हेतु शेष थी हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपलएक्ट 1994 के प्रावधानानुसार यदि कोई राशि टैक्स म्युनिसिपल शुल्क इत्यादि के रूप में देय है देय तिथि के बाद 15 दिन तक भी अदत रहती है तो सम्बन्धित नगर परिषद्/पंचायत को सचिव /कार्यकारी अधिकारी लिखित में सम्बन्धित फर्म, संस्था अथवा व्यक्ति को विहित पत्र पर नोटिस जारी करेगा। नियम 258 के उपनियम (2) व (3) के अनुसार यदि सम्बन्धित फर्म, संस्था अथवा व्यक्ति नोटिस जारी होने के 15 दिन के भीतर भी नगर परिषद् / नगर पंचायत/नगर निगम को भुगतान नहीं करता है तब सम्बन्धित सचिव/कार्यकारी अधिकारी देय कर राशि खर्चों व लागत सहित वसूलने हेतु निर्धारित एवम् विहित प्रपत्र पर सम्बन्धित फर्म, संस्था, व्यक्ति को वारंट जारी करेगा तथा वारंट जारी करने के बावजूद भी भुगतान न करने की स्थिति में सम्पूर्ण प्रकरण जिला समाहर्ता को वसूली हेतु प्रेषित करना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि नगर परिषद् द्वारा इस सन्दर्भ में कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई थी। अतः परामर्श दिया जाता है कि दुकानों के किराये की वसूली हेतु नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार दुकानों के मासिक किराये में बढौतरी न करने के कारण ₹0.08 लाख की राजस्व हानि

दुकानों के आबंटन सम्बन्धी अनुबन्धों का अवलोकन करने पर पाया गया कि अनुबन्ध की शर्त -3 के अनुसार "After every five years the lease rent shall be enhancement by

10% of the amount being charged.” परन्तु निम्न प्रकरणों में दुकानों के मासिक किराये में अपेक्षित बढौतरी न करने के कारण दिनांक 31-03-18 तक ₹8218 की राजस्व हानि हुई है

:-

क्रम सं०	दुकान संख्या	दुकानदार का नाम	अनुबन्ध की तिथि	जिस तिथि से मासिक किराये में 10% की बढौतरी की जानी अपेक्षित थी	मासिक किराया (₹)	देय मासिक किराया (₹)	प्राप्त मासिक किराया (₹)	अन्तर (₹)	माह	कम प्राप्त राशि (₹)
1	585 (ward no-4)	बुध राम सुपुत्र श्री दिलावर राम	1-08-12	1-08-17	1300	1430	1300	130	8	1040
2	546 (ward no-2)	सत्या प्रसाद सुपुत्र श्री राम असरा	1-07-07	1-07-17	625	688	656	32	9	288
3	1 (vyasaik Palika Parisar)	अनिल कुमार अगरवाल सुपुत्र श्री वी० एस० अगरवाल	1-06-11	1-06-16	1300	1430	1300	130	22	2860
4	9 (IDSMT)	विजय कुमार सुपुत्र श्री बिसन दास	1-04-11	1-04-16	1250	1375	1250	125	24	3000
5	586 (ward no-4)	अनिल पुरी सुपुत्र श्री नरेश कुमार	1-06-07	1-06-17	627	690	627	63	10	630
6	IDSMT Parking	तिलक राज सुपुत्र श्री ओम प्रकाश	15-02-13	1-03-18	4000	4400	4000	400	1	400
योग =										8218

उपरोक्त अनियमितता अंकेक्षण अधियाचना संख्या –286 दिनांक 16-10-2018 द्वारा कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् के ध्यानार्थ अपेक्षित कार्यवाही करने हेतु लाया गया था, लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रतियुतर प्राप्त नहीं हुआ। अतः अनुबन्ध की शर्त-3 के अनुसार उक्त दुकानदारों के मासिक किराये में बढौतरी न करने को या तो न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा दिनांक 31-03-18 तक कम वसूली गई ₹8218 की राशि की वसूली सम्बन्धित दुकानदारों से करने के अतिरिक्त भविष्य में दुकान आबंटन अनुबन्ध की शर्त-3 के

अनुसार मासिक किराये में बढ़ौतरी करके किराए की दुकानदारों से वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए व कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

11 चूल्हा टैक्स की बकाया राशि ₹4.48 लाख वसूली हेतु शेष

नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण को यथा परिशिष्ट (ड.-3) उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार चूल्हा टैक्स के रूप में दिनांक 31-03-2018 को ₹ 447650 की राशि वसूली हेतु शेष थी तथा अंकेक्षण में पाया गया कि उक्त राशि की वसूली हेतु नगर परिषद द्वारा कोई भी ठोस कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई थी । अतः उक्त टैक्स की वसूली हेतु नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

12 ईंट भट्टा मालिकों से शुल्क के रूप में देय ₹0.28 लाख वसूली हेतु शेष

नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण को यथा परिशिष्ट (ड.-4) उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-03-2018 को ब्रिक किल्लन शुल्क ₹ 28000 वसूली हेतु शेष था तथा अंकेक्षण में पाया गया कि उक्त राशि की वसूली हेतु नगर परिषद द्वारा कोई भी ठोस कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई थी । अतः उक्त शुल्क की वसूली हेतु नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

13 मोबाईल टावरों का स्थापना / नवीनीकरण शुल्क ₹ 2.06 लाख की वसूली हेतु शेष

नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण को यथा परिशिष्ट (ड.-5) उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-03-18 तक निम्न विवरणानुसार मोबाईल टावरों का स्थापना / नवीनीकरण शुल्क ₹ 205804 वसूली हेतु शेष था तथा अंकेक्षण में पाया गया कि परिषद द्वारा वर्णित बकाया राशि की वसूली हेतु कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई थी । अतः परामर्श दिया जाता है कि वर्णित बकाया राशि की वसूली हेतु नियमानुसार तुरन्त ठोस कार्यवाही अमल में लाई जाए व कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

क्रम संख्या	कंपनी का नाम	दिनांक 31.03.2018 तक वसूली योग्य राशि (₹)
1	एयरटेल (मै० भारती सेल्लुलर लिमिटेड)	30000

2	बोडाफोन	12500
3	डिशनेट वायरलैस	52500
4	आईडिया कम्युनिकेशन	12500
5	रिलायंस	47812
6	बी० एस० एन० एल०	50492
	योग	₹205804

14 सेवा कर ₹1.57 लाख वसूली हेतु शेष

नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण को यथा परिशिष्ट - (च) उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-03-18 तक सेवा कर ₹156575 वसूली हेतु शेष था, जिसकी वसूली शीघ्र करके अविलम्ब सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

15 विवाह पंजीकरण शुल्क से प्राप्त राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाना

हिमाचल प्रदेश सरकार Social Justice and empowerment Department की अधिसूचना संख्या WLF-A(3) 1/97 दिनांक 17-12-2004 के अनुसार विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि को चालान द्वारा सरकारी कोष में जमा करवाया जाना अपेक्षित है परन्तु नगर परिषद् द्वारा अवधि 1-04-16 से 31-03-18 तक प्राप्त विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था जोकि गम्भीर अनियमितता है । अतः परिषद स्तर पर गणना करने के उपरान्त अंकेक्षण अवधि 1-04-16 से 31-03-18 तक प्राप्त विवाह पंजीकरण शुल्क को अविलम्ब सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

16 शराब शुल्क की वसूली न करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान आबकारी एवम कराधान विभाग से नगर परिषद क्षेत्र में बेची गई शराब की बोतलों पर एक रूपये की दर से शराब की वसूली नहीं की गई थी । अतः इस बारे में मामला सम्बन्धित विभाग से उठाया जाए तथा उक्त अवधि के लिए देय शराब कर की वसूली सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

17 विधुत उपयोग कर की वसूली न करना

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या एल० एस० जी० डी० (1)9/94 दिनांक 24-08-2000 के अनुसार नगर परिषद के क्षेत्र में बिजली की कुल खपत पर एक पैसा प्रति यूनिट की दर से विद्युत बोर्ड द्वारा नगर परिषद को विद्युत उपकर भुगतान किये जाने का प्रावधान है लेकिन नगर परिषद द्वारा अवधि 1-04-16 से 31-03-18 तक के लिए देय विद्युत उपयोग कर की विद्युत विभाग से वसूली नहीं की गई थी । अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए व सम्बन्धित विभाग से इस राशि की वसूली एवम सम्बन्धित आवश्यक अभिलेख /आंकड़े एकत्रित करके आगामी अंकेक्षण के दौरान आवश्यक सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए ।

18 स्वीकृत बजट राशि ₹ की तुलना में ₹122.38 लाख का अधिक व्यय करना

नगर परिषद संतोषगढ़ का वित्तीय वर्ष 2016-17 व 2017-18 तक का स्वीकृत बजट व व्यय की गई राशि का विवरण निम्नानुसार है :-

वर्ष	स्वीकृत बजट (₹)	वास्तविक व्यय (₹)	स्वीकृत बजट से अधिक व्यय की गई राशि (₹)
2016-17	16458144	23507393	7049249
2017-18	19709700	24898385	5188685
कुल योग			12237934

उपरोक्त विवरणानुसार परिषद द्वारा ₹12237934 की राशि बिना सक्षम अधिकारी की अनुमोदन/स्वीकृति से स्वीकृत बजट की राशि से अधिक व्यय की गई थी । अतः इस प्रकरण में म्युनिसिपल एक्ट 1994 की धारा 251 के अनुसार निदेशक, शहरी विकास विभाग के अनुमोदन/स्वीकृति से उक्त वर्णित अनियमित व्यय को नियमित करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

19 न्यूनतम दर संविदा वाले ठेकेदार को सफाई का ठेका न देने के कारण नगर परिषद् को ₹1.12 लाख की वित्तीय हानि

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अवधि 1-04-16 से 31-07-16 तक व 1-08-16 से 31-07-17 तक साफ-सफाई का ठेके हेतु सबसे न्यूनतम दर संविदा ठेकेदार श्री राम किशन व श्रीमती रीता देवी द्वारा क्रमशः ₹95319 व ₹113900 की थी, परन्तु नगर परिषद द्वारा साफ-सफाई का ठेका उक्त न्यूनतम दर संविदा वाले ठेकेदार की अपेक्षा दूसरी व तृतीय न्यूनतम दर संविदा वाले ठेकेदार श्री गुरु दत्त को क्रमशः अवधि 1-04-16 से 31-07-16 हेतु

₹102000 प्रति माह में व अवधि 1-08-16 से 31-07-17 हेतु ₹121000 प्रति माह में आबंटित किया गया जिसके कारण नगर परिषद् को अवधि 1-04-16 से 31-07-16 व 1-08-16 से 31-07-17 तक कुल ₹111924 {₹26724(102000-95319=6681x4) व ₹85200 (121000-113900=7100x12)} की वित्तीय हानि हुई है I उक्त वित्तीय हानि का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 283 दिनांक 16-10-2018 के माध्यम से कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् संतोषगढ़ के ध्यानार्थ नियमानुसार वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था किन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तिथि तक कोई भी प्रतियुतर प्राप्त नहीं हुआ I अतः वर्णित अनियमितता का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा नगर परिषद् को हुई वित्तीय हानि ₹111924 का उतरदायित्व निर्धारण करने के उपरान्त उक्त राशि की सम्बन्धित से वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए I

20 ठेकेदार को अप्रत्यक्ष लाभ देने के कारण नगर परिषद् को ₹3.60 लाख की वित्तीय हानि

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि व्यय वाउचर संख्या 210 माह 8/16 द्वारा ₹360326 का भुगतान श्रीमती सुनीता देवी, संविदाकार को “Disilting of Nallies in Municipal area Santoshgarh” के कार्य निष्पादन हेतु किया गया था परन्तु नगर परिषद् द्वारा अवधि 1-04-2016 से 31-07-16 तक का साफ सफाई ठेका ₹102000 प्रति माह की दर से व अवधि 1-08-2016 से 31-07-17 तक ₹121000 प्रति माह की दर से श्री गुरुदत्त ठेकेदार को दिया गया था तथा जिस हेतु उन से किए गए अनुबंध की शर्त -4 के अनुसार “Disilting of Nallies / drains” का कार्य ठेकेदार द्वारा निष्पादित किया जाना अपेक्षित था I इस प्रकार नगर परिषद् द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में “Disilting of Nallies / drains” का कार्य अनुबंध की शर्त - 4 के अनुरूप श्री गुरुदत्त सफाई ठेकेदार से न करवा कर श्रीमती सुनीता देवी, संविदाकार से ₹360366 में करवाया गया I जिसके फलस्वरूप श्री गुरुदत्त ठेकेदार को नगर परिषद् निधि की cost पर ₹360326 का अप्रत्यक्ष रूप से अनुचित लाभ प्रदान करने पर परिषद् को ₹360326 की वित्तीय हानि हुई है जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है I उक्त वित्तीय हानि का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 292 दिनांक 22-10-2018 के माध्यम से कार्यकारी अधिकारी के ध्यानार्थ नियमानुसार वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रतियुतर प्राप्त नहीं हुआ I अतः वर्णित अनियमितता का

नियमानुसार या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा परिषद् को हुई वित्तीय हानि ₹360326 का उतरदायित्व निर्धारण करने के उपरान्त राशि की सम्बन्धित से वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए I

21 गलत वेतन निर्धारण के कारण कर्मचारियों को ₹0.94 लाख के वेतन एवम भत्तों का अधिक भुगतान

नगर परिषद के कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं का प्रस्तुत सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्नलिखित कर्मचारियों को वेतन निर्धारण में पाई गई विभिन्न त्रुटियों के कारण ₹93807 के वेतन व भत्तों का अधिक भुगतान किया गया था जिसका नियमानुसार या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से वेतन का निर्धारण करने के उपरान्त अधिक भुगतान की अपने स्तर पर गणना करके नियमानुसार सम्बन्धित राशि की उचित स्रोत से वसूली सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए:-

(क) श्री अनिल कुमार, कनिष्ठ सहायक

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2014 से 3/2016 के पैरा संख्या 25 द्वारा श्री अनिल कुमार, लिपिक को कनिष्ठ सहायक के पद पर गलत स्थापन करने की आपत्ति उठाई गई थी जिसकी अनुपालना में नगर परिषद संतोषगढ़ के आदेश संख्या MCS/Estt./2016-1552 to 1555 दिनांक 22.12.2016 द्वारा श्री अनिल कुमार, कनिष्ठ सहायक को पुनः लिपिक के पद पर revert करने के उपरान्त दिनांक 01.04.17 से कनिष्ठ सहायक के पद पर स्थापन किया गया लेकिन उक्त कर्मचारी को अवधि 01.07.16 से 31.03.2018 तक के दौरान कनिष्ठ सहायक के पद के वेतन एवं भत्तों के रूप में किए गए अधिक भुगतान की वसूली नहीं की गई थी I इस प्रकार उक्त कर्मचारी को देय पे व ग्रेड पे के स्थान पर अधिक पे + ग्रेड पे देने के कारण अवधि 01.07.16 से 31.03.2018 तक निम्न विवरणानुसार वेतन एवं भत्तों के रूप में ₹13014 का अधिक भुगतान किया गया था I

श्री अनिल कुमार, कनिष्ठ सहायक को नियमानुसार निम्नलिखित पे + ग्रेड पे का भुगतान किया जाना अपेक्षित था :-

कार्य ग्रहण की तिथि 16-07-1998 (पूर्वाहन)

वार्षिक वेतन बढ़ौतरी की तिथि	देय वेतन (पे + ग्रेड पे) (₹)	टिप्पणी
1-07-16	12090+3200=15290	
1-04-17	12090+3600=15690	Placed as Junior Assistant
1-07-17	12560+3600=16160	

नियमानुसार उपरोक्त देय पे + ग्रेड पे के स्थान पर श्री अनिल कुमार, कनिष्ठ सहायक को वेतन बिलों के अनुसार अवधि 1-07-16 से 31-03-18 तक निम्न प्रकार से वेतन का भुगतान किया गया था :-

वार्षिक वेतन बढ़ौतरी की तिथि	आहरित किया गया वेतन (₹)	टिप्पणी
1-07-16	12100+3600=15700	दिनांक 1-07-16 को कनिष्ठ सहायक के पद पर गलत स्थापन का लाभ प्रदान किया गया
1-04-17	12570+3600=16170	दिनांक 01.07.17 की अपेक्षा दिनांक 01.04.17 से गलत वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान की गई I
1-07-17	12570+3600=16170	

अतः नियमानुसार वास्तविक रूप से देय वेतन की अपेक्षा अधिक वेतन प्रदान करने के कारण श्री अनिल कुमार, कनिष्ठ सहायक को निम्न विवरणानुसार वेतन एवं भत्तों के रूप में ₹13014 का अधिक भुगतान हुआ है :-

क्र० सं०	अवधि	देय वेतन (पे + ग्रेड पे) (₹)	दिया गया वेतन (पे + ग्रेड पे) (₹)	अन्तर (₹)	आई० आर० की दर (₹)	आई० आर० राशि (₹)	महंगाई भत्ता की दर (₹)	महंगाई भत्ता राशि (₹)	योग (₹)	माह (₹)	कुल राशि (₹)
1	1-07-16 से 31-12-16	12090+3200 = 15290	12100+3600 = 15700	410	17%	70	130%	533	1013	6	6078
2	1-01-17 से 31-03-17	12090+3200 = 15290	12100+3600 = 15700	410	17%	70	134%	533	1013	3	3087
3	1-04-17 से 30-06-17	12090+3600 = 15690	12570+3600 = 16170	480	17%	82	134%	643	1205	3	3615
4	1-07-17 से 31-12-17	12560+3600 = 16160	12570+3600 = 16170	10	17%	2	137%	14	26	6	156

5	1-01-18 से 31-03-18	12560+3600 = 16160	12570+3600 = 16170	10	17%	2	137%	14	26	3	78
योग =											13014

उक्त वेतन एवम भत्तों के रूप में किए गए अधिक भुगतान की वसूली का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 282 दिनांक 16-10-18 द्वारा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद संतोषगढ़ के ध्यानार्थ आवश्यक कार्यवाही करने हेतु लाया गया था लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तिथि तक उक्त अधियाचना का कोई भी प्रतियुतर अंकेक्षण दल को प्राप्त नहीं हुआ ।

(ख) श्री सन्तोष कुमार, ड्राईवर

श्री सन्तोष कुमार, ड्राईवर की सेवा पंजिका की जांच करने पर पाया कि उक्त कर्मचारी द्वारा दिनांक 28.06.2012 को कार्यग्रहण किया गया था तथा दो वर्ष के कार्यकाल के उपरान्त दिनांक 28.06.14 को हिमाचल प्रदेश वित्त विभाग के पत्र संख्या Fin (PR) –B (7)-64/2010 दिनांक 27.09.2012 के अनुसार उन्हें उच्च ग्रेड ₹2400 प्रदान की गई थी तदुपरान्त दिनांक 01-06-16 को उक्त कर्मचारी को चार वर्ष की ए0सी0पी0 का लाभ प्रदान किया गया जोकि हिमाचल प्रदेश सरकार वित्त विभाग के पत्र संख्या: Fin (PR) B (7)-59/2010 loose dated 3.11.16 द्वारा जारी अनुदेशों /स्पष्टीकरण के अनुसार उक्त कर्मचारी को देय नहीं बनता था क्योंकि उक्त कर्मचारी को ₹2400 की उच्च ग्रेड दो वर्ष उपरान्त दिनांक 28-06-14 से प्रदान करने के कारण उन्हें 4 वर्ष की अपेक्षा 9 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण करने के उपरान्त ACPS का लाभ देय होगा । ए0सी0पी0 का गलत लाभ देने के कारण उक्त कर्मचारी को अवधि 01-06-16 से 31-03-18 तक वेतन एवम भत्तों के रूप में निम्न विवरणानुसार ₹39670 का अधिक भुगतान किया गया था ।

श्री सन्तोष कुमार, ड्राईवर को नियमानुसार निम्नलिखित पे + ग्रेड पे का भुगतान किया जाना अपेक्षित था ।

कार्य ग्रहण की तिथि 28.06.2012 (पूर्वाहन)		
वार्षिक वेतन बढ़ौतरी की तिथि	देय वेतन (पे + ग्रेड पे) (₹)	टिप्पणी
28-06-12	6240+2000=8240	
1-06-13	6490+2000=8490	
1-06-14	6750+2000=8750	
28-06-14	6750+2400=9150	(Grade Pay revised)

1-06-15	7030+2400=9430
1-06-16	7320+2400=9720
1-06-17	7620+2400=10020

नियमानुसार उपरोक्त देय पे + ग्रेड पे के स्थान पर श्री सन्तोष कुमार, ड्राइवर को वेतन बिलों के अनुसार अवधि 28-06-12 से 31-03-18 तक निम्न प्रकार से वेतन का भुगतान किया गया I

वार्षिक वेतन बढ़ौतरी की तिथि आहरित किया गया वेतन टिप्पणी (₹)

28-06-12	6240+2000=8240
1-06-13	6490+2000=8490
1-06-14	6750+2000=8750
28-06-14	6750+2400=9150
1-06-15	7030+2400=9430
1-06-16	7630+2800=10430

दिनांक 1-06-16 को गलत ए० सी० पी० प्रदान की गई जो कि देय नहीं थी, क्योंकि उक्त कर्मचारी का ग्रेड पे दिनांक 28-06-14 को संशोधित हुआ है I

1-06-17 7950+2800=10750

अतः नियमानुसार वास्तविक रूप से देय वेतन की अपेक्षा अधिक वेतन प्रदान करने के कारण श्री सन्तोष कुमार, ड्राइवर को निम्न विवरणानुसार वेतन एवं भत्तों के रूप में ₹39670 का अधिक भुगतान हुआ है :-

क्र० सं०	अवधि	देय वेतन (पे + ग्रेड पे) (₹)	दिया गया वेतन (पे + ग्रेड पे) (₹)	अन्तर (₹)	आई० आर० की दर (₹)	आई० आर० राशि (₹)	महंगाई भत्ता की दर (₹)	महंगाई भत्ता राशि (₹)	योग (₹)	माह	कुल राशि (₹)
1	1-06-16 से 30-06-16	7320+2400=9720	7630+2800=10430	710	17%	121	125%	887	1718	1	1718
2	1-07-16 से 31-12-16	7320+2400=9720	7630+2800=10430	710	17%	121	130%	923	1754	6	10524
3	1-01-17 से 31-05-17	7320+2400=9720	7630+2800=10430	710	17%	121	134%	951	1782	5	8910
4	1-06-17 से 30-06-17	7620+2400=10020	7950+2800=10750	730	17%	124	134%	978	1832	1	1832
5	1-07-17 से 31-12-17	7620+2400=10020	7950+2800=10750	730	17%	124	137%	1000	1854	6	11124
6	1-01-18 से 31-03-18	7620+2400=10020	7950+2800=10750	730	17%	124	137%	1000	1854	3	5562
योग =											39670

उक्त वेतन एवम भत्तों के रूप में किए गए अधिक भुगतान की वसूली का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 282 दिनांक 16-10-18 द्वारा कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद

संतोषगढ़ के ध्यानार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया गया था लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तिथि तक उक्त अधियाचना का कोई भी प्रतियुतर अंकेक्षण दल को प्राप्त नहीं हुआ ।

(ग) श्री हरजिंदर, लिपिक

श्री हरजिंदर, लिपिक की सेवापंजिका की जांच करने पर पाया गया कि उक्त कर्मचारी द्वारा दिनांक 10.12.2009 को कार्यग्रहण किया गया था तथा दिनांक 1-10-12 से हिमाचल प्रदेश वित्त विभाग के पत्र संख्या Fin (PR)- B (7)-64/2010 दिनांक 27.09.12 के अनुसार उच्च ग्रेड पे ₹3200 प्रदान की गई थी तदोपरान्त दिनांक 1-10-16 को उक्त कर्मचारी को चार वर्ष की ए0सी0पी0 का लाभ प्रदान किया गया, जोकि हिमाचल प्रदेश सरकार, वित्त विभाग के पत्र संख्या : Fin (PR) B (7)-59/2010 Loose दिनांक 03.11.16 द्वारा जारी अनुदेशों/स्पष्टीकरण के अनुसार उक्त कर्मचारी को देय नहीं बनता था क्योंकि उक्त कर्मचारी को ₹3200 की उच्च ग्रेड पे दिनांक 1.10.12 से प्रदान करने के उपरान्त उन्हें 4 वर्ष की अपेक्षा 9 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण करने के उपरान्त ही ACPS का लाभ देय होगा । अतः ACPS का गलत लाभ देने के कारण उक्त कर्मचारी को अवधि 1-10-16 से 31-08-18 तक वेतन एवं भत्तों के रूप में निम्न विवरणानुसार ₹38979 का अधिक भुगतान किया गया था ।

श्री हरजिंदर, लिपिक को नियमानुसार निम्नलिखित पे + ग्रेड पे का भुगतान किया जाना अपेक्षित था ।

कार्य ग्रहण की तिथि 10-12-2009 (पूर्वाहन)

वार्षिक वेतन बढौतरी की तिथि	देय वेतन (पे + ग्रेड पे) (₹)	टिप्पणी
1-10-12	10300+3200=13500	
1-10-13	10710+3200=13910	
1-10-14	11130+3200=14330	
1-10-15	11560+3200=14760	
1-10-16	12010+3200=15210	
1-10-17	12470+3200=15670	

नियमानुसार उपरोक्त देय पे + ग्रेड पे के स्थान पर श्री हरजिंदर, लिपिक को वेतन बिलों के अनुसार अवधि 1-10-16 से 31-08-18 तक निम्नलिखित प्रकार से वेतन का भुगतान किया गया ।

वार्षिक वेतन बढौतरी की तिथि आहरित किया गया वेतन (₹) टिप्पणी

1-10-12	10300+3200=13500
1-10-13	10710+3200=13910
1-10-14	11130+3200=14330
1-10-15	11560+3200=14760
1-10-16	12460+3600=16060

दिनांक 1-10-16 को गलत ए० सी० पी० प्रदान की गई जो कि देय नहीं थी, क्योंकि उक्त कर्मचारी का ग्रेड पे दिनांक 1-10-12 को संशोधित हुआ है।

1-10-17	12950+3600=16550
---------	------------------

अतः नियमानुसार वास्तविक रूप से देय वेतन की अपेक्षा अधिक वेतन आहरित करने के कारण श्री हरजिंदर, लिपिक को निम्न विवरणानुसार वेतन एवं भत्तों के रूप में ₹₹38979 का अधिक एवं गलत भुगतान हुआ है:-

क्र० सं०	अवधि	देय वेतन (पे + ग्रेड पे) (₹)	दिया गया वेतन (पे + ग्रेड पे) (₹)	अन्तर (₹)	आई० आर० की दर (₹)	आई० आर० राशि (₹)	महंगाई भत्ता की दर (₹)	महंगाई भत्ता राशि (₹)	योग (₹)	माह	कुल राशि (₹)
1	1-10-16 से 31-12-16	12010+3200 = 15210	12460+3600 = 16060	850	17%	144	130%	1105	2099	3	6297
2	1-01-17 से 30-06-17	12010+3200 = 15210	12460+3600 = 16060	850	17%	144	134%	1139	2133	6	12798
3	1-07-17 से 30-09-17	12010+3200 = 15210	12460+3600 = 16060	850	17%	144	137%	1164	2158	3	6474
4	1-10-17 से 31-12-17	12470+3200 = 15670	12950+3600 = 16550	880	17%	150	137%	1205	2235	3	6705
5	1-01-18 से 31-03-18	12470+3200 = 15670	12950+3600 = 16550	880	17%	150	137%	1205	2235	3	6705
योग =											38979

उक्त वेतन एवम भत्तों के रूप में किए गए अधिक भुगतान की वसूली का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 282 दिनांक 16-10-18 द्वारा कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद संतोषगढ़ के ध्यानार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया गया था लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तिथि तक उक्त अधियाचना का कोई भी प्रतियुतर अंकेक्षण दल को प्राप्त नहीं हुआ अन्यथा उक्त राशि की सम्बन्धित से वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए।

(घ) श्री शिंगारा, सफाई कर्मचारी

श्री शिंगारा, सफाई कर्मचारी की सेवा पंजिका की जाँच करने पर पाया गया कि वह दिनांक 01.06.14 को ₹₹8670+1650 GP ₹₹10320 का वेतन आहरित कर रहा था

तथा दिनांक 12.6.14 को ACPS के अन्तर्गत ₹1900 की उच्च ग्रेड पे का लाभ प्रदान करने पर उनका वेतन ₹8980+1900=₹10880 के स्तर पर निर्धारित करने की अपेक्षा ₹8990+1900=10890 के स्तर पर निर्धारित किया था और इसका लाभ 01.06.14 से प्रदान किया गया I वर्णित अनियमितता के कारण उक्त कर्मचारी को अवधि 01-06-14 से 31-03-18 तक वेतन एवम भत्तों के रूप में निम्न विवरणानुसार ₹1082 का अधिक भुगतान किया गया था :-

क्र० सं०	अवधि	देय वेतन (पे + ग्रेड पे) (₹)	दिया गया वेतन (पे + ग्रेड पे) (₹)	अन्तर (₹)	आई० आर० की दर (₹)	आई० आर० राशि (₹)	महंगाई भत्ता की दर (₹)	महंगाई भत्ता राशि (₹)	योग (₹)	माह	कुल राशि (₹)
1	1-06-14 से 30-06-14	10880	10890	10			100%	10	20	1	20
2	1-07-14 से 31-12-14	10880	10890	10			107%	11	21	6	126
3	1-01-15 से 31-05-15	10880	10890	10			113%	11	21	5	105
4	1-06-15 से 30-06-15	11210	11220	10			113%	11	21	1	21
5	1-07-15 से 31-12-15	11210	11220	10			119%	12	22	6	132
6	1-01-16 से 31-05-16	11210	11220	10	17%	2	125%	12	24	5	120
7	1-06-16 से 30-06-16	11550	11560	10	17%	2	125%	12	24	1	24
8	1-07-16 से 31-12-16	11550	11560	10	17%	2	130%	13	25	6	150
9	1-01-17 से 31-05-17	11550	11560	10	17%	2	134%	13	25	5	125
10	1-06-17 से 30-06-17	11900	11910	10	17%	2	134%	13	25	1	25
11	1-07-17 से 31-12-17	11900	11910	10	17%	2	137%	14	26	6	156
12	1-01-18 से 31-03-18	11900	11910	10	17%	2	137%	14	26	3	78
योग=											1082

उक्त वेतन एवं भत्तों के रूप में किए गए अधिक भुगतान की वसूली का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 282 दिनांक 16-10-18 द्वारा कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद संतोषगढ़ के ध्यानार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया गया था लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तिथि तक उक्त अधियाचना का कोई भी प्रतियुतर अंकेक्षण दल को प्राप्त नहीं दिया हुआ ।

(ड) श्रीमती रजनी, सफाई कर्मचारी

श्रीमती रजनी, सफाई कर्मचारी की सेवा पंजिका की जाँच करने पर पाया गया कि वह दिनांक 01-07-14 को ₹6370+1650 GP=₹8020 का वेतन आहरित कर रही थी तथा इस तिथि को वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान करने पर उनका वेतन ₹6610+1650GP=₹8260 के स्तर पर निर्धारित करने की अपेक्षा ₹6620+1650 GP=₹8270 के स्तर पर निर्धारित किया गया था जिसके कारण उक्त कर्मचारी को अवधि 01.07.14 से 31.03.18 तक वेतन एवं भत्तों के रूप में निम्न विवरणानुसार ₹1062 का अधिक भुगतान किया गया था :-

क्र० सं०	अवधि	देय वेतन (पे + ग्रेड पे) (₹)	दिया गया वेतन (पे + ग्रेड पे) (₹)	अन्तर (₹)	आई० आर० की दर	आई० आर० राशि (₹)	महंगाई भत्ता की दर	महंगाई भत्ता राशि (₹)	योग (₹)	माह	कुल राशि (₹)
1	1-07-14 से 31-12-14	8260	8270	10			107%	11	21	6	126
2	1-01-15 से 30-06-15	8260	8270	10			113%	11	21	6	126
3	1-07-15 से 31-12-15	8510	8520	10			119%	12	22	6	132
4	1-01-16 से 30-06-16	8510	8520	10	17%	2	125%	12	24	6	144
5	1-07-16 से 31-12-16	8770	8780	10	17%	2	130%	13	25	6	150
6	1-01-17 से 30-06-17	8770	8780	10	17%	2	134%	13	25	6	150
7	1-07-17 से 31-12-17	9040	9050	10	17%	2	137%	14	26	6	156
8	1-01-18 से 30-03-18	9040	9050	10	17%	2	137%	14	26	3	78
योग=											1062

उक्त वेतन एवं भत्तों के रूप में किए गए अधिक भुगतान की वसूली का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 282 दिनांक 16-10-18 द्वारा कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद संतोषगढ़ के ध्यानार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु लाया गया था लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तिथि तक उक्त अधियाचना का कोई भी प्रतियुतर अंकेक्षण दल को प्राप्त नहीं दिया हुआ ।

22 अनुदान की शर्तों के बिपरीत परिषद स्तर पर निर्माण कार्य निष्पादित करने की अपेक्षा प्राप्त अनुदानों की राशि ₹11.90 लाख को सीधे लाभार्थी संस्थाओं को चैक से नकद वितरित करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न विवरणानुसार नगर परिषद संतोषगढ़ को वित्तीय वर्ष 2015-16 में गौ सदन के निर्माण हेतु ₹990000 व वाल्मीकि मन्दिर के नजदीक कमरे

के निर्माण हेतु ₹200000 क्रमशः विकास में जन सहयोग (VJMS) व विधायक विकास क्षेत्र निधि (VKVNY) के अन्तर्गत प्राप्त हुए थे :-

क्रम संख्या	स्वीकृति पत्र संख्या	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	स्वीकृति पत्र के अनुसार कार्य करवाने वाली संस्था का नाम	शीर्षक	लाभार्थी संस्था का नाम जिसे राशि गलत वितरित की गई	चेक संख्या व दिनांक	राशि
1	No. PLG-Una(VMJS)/2015-16/1300 Dated 26-11-2016 DC Una	C/O Gau Sadan Building santosharh	990000	Executive Officer, M C. Santoshgarh	VMJS	Pradhan Gou Rakshni Sabha Santoshgarh	077541/ 23-02-17	300000
							703088/ 23-09-17	300000
							592252/ 16-02-18	390000
							योग	990000
2	N0. PLG-Una(VKV NY)-Una-17-18/-652 Dated 9-08-2017 DC Una	C/O of room near Valmiki Temple ward no.- 4 Santoshgarh	200000	Executive Officer, M.C. Santoshgarh	VKVNY	President Maharishi Valmiki Sabha Santoshgarh	703097/ 6-10-17	100000
							703099/ 20-11-17	70000
							592253/ 16-02-18	30000
							योग	200000
							कुल योग	1190000

अनुदान स्वीकृति पत्रों की शर्तों के अनुसार उपरोक्त कार्य कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद् संतोषगढ़ द्वारा अपने स्तर पर निष्पादित करवाए जाने अपेक्षित थे, परन्तु इसके प्रतिकूल वर्णित कार्य अपने स्तर पर निष्पादित करने की अपेक्षा प्राप्त अनुदानों की राशि ₹990000 का भुगतान सीधे प्रधान गौऊ रक्षनी सभा संतोषगढ़ तथा ₹200000 का भुगतान प्रधान महर्षि वाल्मीकि सभा संतोषगढ़ को उपरोक्त उल्लिखित चैकों के माध्यम से नकदी में कर दिया गया जो कि गम्भीर वितीय अनियमितता है। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण में यह भी पाया गया कि नगर परिषद् द्वारा उपरोक्त कार्य निष्पादित करवाए बिना ही मात्र चैकों द्वारा राशि का भुगतान करने के उपरान्त उक्त कार्य हेतु प्राप्त अनुदानों की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित संस्था को जारी कर दिया गया है जोकि गम्भीर अनियमितता है क्योंकि ऐसे में राशि के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। वर्णित अनियमितताएं अंकेक्षण अधियाचना संख्या 291 दिनांक 22-10-18 द्वारा कार्यकारी अधिकारी के ध्यानार्थ वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाई गई थी लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रतियुतर प्राप्त नहीं हुआ। अतः वर्णित अनियमितताओं का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए इन्हें नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी

की स्वीकृति से नियमित करवाने के साथ-2 सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा करवाए गए कार्यों का मूल्यांकन नगर परिषद् के कनिष्ठ अभियंता द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि यह प्रमाणित हो सके कि स्वीकृत अनुदान राशि के मूल्य के बराबर कार्य का निष्पादन वास्तविकता में हो चुका है। भविष्य में अनुपालना हेतु परामर्श दिया जाता है कि अनुदान राशि स्वीकृति पत्र की शर्तों के अनुसार नगर परिषद् स्वयं अपने स्तर पर कार्य का निष्पादन सुनिश्चित करे व किसी भी संस्था के प्रधान को अनुदान राशि का सीधे तौर पर भुगतान न करे, ताकि किसी भी प्रकार के दुर्विनियोजन की सम्भावना को नकारा जा सके।

23 गणना में त्रुटि के कारण संविदाकार को ₹0.03 लाख का अधिक भुगतान

उपरोक्त निर्माण कार्य का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि माप पुस्तिका में निष्पादित कार्य प्रमात्रा के योग में गणना की त्रुटि के कारण संविदाकार को निम्न विवरणानुसार ₹2818 का अधिक भुगतान किया गया था।

(क) कार्य का नाम :- Repavement of street near H/O Sushma Devi w/o Hem Raj ward no. 3

संविदाकार का नाम :- श्री सोम नाथ धीमान

अवार्ड पत्र संख्या:- 899-901 दिनांक: 12-05-16

माप पुस्तिका संख्या व पृष्ठ संख्या :- 29 व पृष्ठ 48 व 49

क्रम सं०	कार्य मद संख्या	कार्य मद का नाम	निष्पादित कार्य प्रमात्रा का वास्तविक योग	निष्पादित कार्य प्रमात्रा का माप पुस्तिका में दर्शाया गया योग	अन्तर	दर (₹)	अधिक भुगतान राशि (₹)
1	2	Dressing the ground i/c cutting and filling upto 15 cm	364.02 m ²	423.95 m ²	59.93 m ²	36.10/10m ²	216
2	3	P/L C:C 1:6:12	36.45m ³	37.14 m ³	0.69 m ³	1942.50/m ³	1340
						Total	1556
					Contractor premium= 35%		545
					कुल योग		2101

(ख) कार्य का नाम :- C/O Gosadan at Santoshgarh.

कार्य आबंटन संख्या:- 1028-1030 दिनांक 20-02-17

माप पुस्तिका संख्या व पृष्ठ संख्या :- 30 पेज 52

क्रम सं०	कार्य मद संख्या	कार्य मद का नाम	निष्पादित कार्य प्रमात्रा का वास्तविक योग	निष्पादित कार्य प्रमात्रा का माप पुस्तिका में दर्शाया गया योग	अन्तर	दर (₹)	अधिक भुगतान राशि (₹)
1	1	Steel work welded in build up section pusses and frame work I/C cutting (Angle Gate)	4x2x.70= 5.6 Rmt 5.6 x 3.5.kg/Rmt= 19.6Kg	7.20 Rmt. 7.2x3.5 kg/Rmt= 25.2 Kg	1.6 Rmt 1.6x 3.5.kg/Rmt= 5.6 Kg	12800 per Quantal	717

कुल अधिक भुगतान राशि (क) व (ख) = ₹2818

उक्त वर्णित अनियमितता अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 285 दिनांक 16-10-2018 द्वारा कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् के ध्यानार्थ वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु लाई गई थी लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ । अतः उक्त अधिक भुगतान राशि ₹2818 का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किये जाए अन्यथा इस की वसूली उचित स्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए और अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

24 गणना में त्रुटि के कारण संविदाकार को ₹0.02 लाख का अधिक भुगतान

कार्य का नाम :- Raising of drain wall on Mehatpur Road ward no. 1 & 2.

कार्य आबंटन संख्या:- 943-945 दिनांक 30-09-16

माप पुस्तिका संख्या व पृष्ठ संख्या :- 30 पेज 10 से 14

उपरोक्त निर्माण कार्य का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि माप पुस्तिका में निष्पादित कार्य प्रमात्रा की गणना में त्रुटि के कारण श्री भूषण कुमार, संविदाकार को निम्न विवरणानुसार ₹2364 का अधिक भुगतान किया गया था:-

क्रम सं०	कार्य मद	कार्य मद का नाम	निष्पादित कार्य प्रमात्रा का वास्तविक	निष्पादित कार्य	अन्तर	दर (₹)	अधिक भुगतान
----------	----------	-----------------	---------------------------------------	-----------------	-------	--------	-------------

	संख्या		योग	प्रमात्रा का माप पुस्तिका में दर्शाया गया योग			राशि (₹)
1	1	Demolition of RCC work below ground level	$1 \times 6.85 \times (25 + .30) / 2 \times 60 = 1.13 \text{m}^3$	1.74 m ³	0.61 m ³	2653.55/ m ³	1619
						Total	1619
						Contractor premium= 46%	745
						कुल योग	2364

उक्त अधिक भुगतान का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 296 दिनांक 25.10.18 द्वारा कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् के ध्यानार्थ वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु लाई गई थी । लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः उक्त अधिक भुगतान राशि ₹2364 की वसूली उचित स्रोत से की जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

- 25 विचलन (Deviation) विवरण तैयार न करना व सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करवाए बिना ठेकेदार को विचलन (Deviation) ₹5.02 लाख का अनियमित भुगतान विस्तृत अंकेक्षण हेतु चयनित मासों 7/16 व 6/17 के निर्माण कार्य बिलों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्नविवरणानुसार निर्माण कार्यों की निष्पादित कार्य मदों में ₹501831 का विचलन निर्धारित सीमा से अधिक था :-

क्रम संख्या	निर्माण कार्य का नाम	निष्पादित कार्य मद का नाम	माप पुस्तिका संख्या व पेज संख्या	DNIT के अनुसार निष्पादित की जाने वाली कार्य प्रमात्रा	वास्तविक निष्पादित कार्य प्रमात्रा	अन्तर	दर	विचलन (Deviation) राशि
1	Repavement of street near H/O Sushma devi w/o Hem Raj	P/L C:C 1:6:12	29 पेज 48 से 50	27 m ³	37.14 m ³	10.14 m ³	1942.50	19697
						संविदाकार प्रीमियम 35%	6894	
						योग =	26591	
2	P/O street from una road to Sidhbaba chano mandir, ward no-1, phase -III Santoshgarh	Dressing of ground	29 पेज 54 व 55	525m ²	769.69m ²	244.69 m ²	36.10	8833
		P/L CC 1:6:12		63m ³	101.09 m ³	38.09 m ³	1942.50	73990
		P/F work MS Plate		625 Rmt	822.15 Rmt	197.15 Rmt	78.15	15407
		P/L CC 1:2:4		52.5 m ³	76.96 m ³	24.46 m ³	3165.90	77438

							योग	175668
							संविदाकार प्रीमियम 23%	40404
							योग =	216072
3	Repavement of street from H/O Jagat Ram to H/O Ratna ward no. -5	Demolition below G.L. upto 1.50 depth	30 पेज 49 से 51	26 m3	51.49 m3	25.49 m3	415.95	10602
		P/L CC 1:6:12		19.50 m3	34.32 m3	14.82 m3	1942.5	28788
		P/L CC 1:2:4		13 m3	30.51 m3	17.51 m3	3165.90	55435
		P/F work steel work of MS Plates		239 Rmt	510.89 Rmt	271.89 Rmt	78.15	21248
							योग	116073
							संविदाकार प्रीमियम 35%	40626
							योग	156699
4	P/O Street near sarai moh. Sarpanch ward no.-3	P/F work steel work of MS Plates	30 पेज 40 व 41	405 Rmt	568.15 Rmt	163.15 Rmt	78.15	12750
		P/L CC 1:2:4		47.25 m3	68.12 m3	20.87 m3	3165.90	66072
							योग	78822
							संविदाकार प्रीमियम 30%	23647
							योग	102469
क्रम संख्या 1 से 4 तक का कुल योग =								501831

नगर परिषद द्वारा विचलन विवरण तैयार और सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करवाए बिना ही विचलन राशि ₹501831 का ठेकेदार को भुगतान किया गया था जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है I वर्णित अनियमितता अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 294 दिनांक 25-10-18 द्वारा कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् के ध्यानार्थ वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाई गई थी लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ I अतः वर्णित अनियमितता का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए इसे सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाना सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए I

26 सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना ₹2.60 लाख की अतिरिक्त मदों का निष्पादन एवं ठेकेदार को भुगतान करना

नियमानुसार किसी भी निर्माण कार्य में अतिरिक्त तथा प्रतिस्थापित मदों के निष्पादन से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी अपेक्षित है, परन्तु विस्तृत अंकेक्षण हेतु चयनित मासों 7/16 व 6/17 के दौरान करवाए गए निर्माण कार्य बिलों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार निर्माण कार्यों में अतिरिक्त मदों का निष्पादन सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना किया गया था जोकि गम्भीर वितीय अनियमितता है :-

क्रम संख्या	निर्माण कार्य का नाम	माप पुस्तिका संख्या व पेज संख्या	कार्य मद का नाम	निष्पादित कार्य प्रमात्रा	दर (₹)	राशि (₹)
1	Repavement of street near H/O Sushma devi w/o Hem Raj	29 पेज 48 से 50	Excavation in earth work and filling upto 15 cm	42.69m ³	80.35 per m ³	3430
			P/F work Vertical Surface steel wall	36.09 m ²	158.85 per m ³	5733
			P/L C:C 1:4:8	10.82 m ³	2300.65 per m ³	24893
					योग	34056
					संविदाकार प्रीमियम 35%	11920
		योग	45976			
2	Repavement of Street from main bazar to Gate walla Khun ward no.-8 santoshgarh	29 पेज 51 से 53	P/L C:C 1:6:12	51.65 m ³	2600	134290
3	P/O street from una road to Sidhbaba chano mandir, ward no-1, phase -III Santoshgarh	29 पेज 54 व 55	Excavation in earth and disposal	22.14m ³	134.25	2972
			P/L CC 1:3:6	19.36 m ³	2585.15	50048
					योग	53020
					संविदाकार प्रीमियम 23%	12195
		योग	65215			
4	P/O Street near sarai moh. Sarpanch ward no.-3	30 पेज 40 व 41	Excavation in drainage and channels etc	15.05 m ³	93.70	1408
			P/F work vertical surface	61.62m ²	158.85	9788
					योग	11196
					संविदाकार प्रीमियम 30%	3359
					योग	14555
क्रम संख्या 1 से 4 तक का कुल योग=						260036

उपरोक्त अनियमितता अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 295 दिनांक 25-10-18 द्वारा कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् के ध्यानार्थ वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु लाई गई थी लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ I अतः वर्णित अनियमितता का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए इसे सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर

स्वीकृति से नियमित करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

27 नियमो के बिपरीत ₹4 लाख का सुरक्षित अग्रिम बिना सामान की आपूर्ति के प्रदान करके ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुंचाना

सी० पी० डब्ल्यू० डी० मैनुअल 2014 के पैरा 32.4 के अनुसार संविदाकार को सुरक्षित अग्रिम (Secured advance) का भुगतान निर्माण कार्य हेतु कार्यस्थल पर प्रयोग होने वाली मर्दों की आपूर्ति करने के उपरान्त ही किया जा सकता है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि श्री भूषण कुमार, संविदाकार को मात्र उनके आवेदन पर बिना सामान व आपूर्ति के ₹4 लाख का अग्रिम निम्न विवरणानुसार प्रदान किया गया, जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है । यद्पि उक्त भुगतान की वसूली सम्बन्धित ठेकेदार के बिल से कर ली गई है । अतः इस प्रकार संविदाकार को नियमो के बिपरीत सुरक्षित अग्रिम प्रदान करके अनुचित लाभ देने का नियमानुसार औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता न दोहराई जाए ताकि परिषद के हितों को सुरक्षित रखा जा सके :-

क्रम संख्या	वाउचर संख्या / दिनांक	कार्य का नाम	राशि (₹)
1	727	C/O Gali ward no. - 3 mohalla pangan, santoshgarh	4,00,000

28 निर्माण कार्य बिलों से स्रोत पर देय श्रम कर ₹1.11 लाख की कटौती न करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 व 2017-18 के दौरान परिशिष्ट "ज" में वर्णित विवरणानुसार निष्पादित निर्माण कार्य के बिलों से 1% की दर से देय श्रम कर ₹110970 की स्रोत पर कटौती नहीं की गई है जबकि श्रम आयुक्त हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या: 1-2000 (lab) BCWA दिनांक 30-01-2009 के अनुसार कुल निर्माण लागत का एक प्रतिशत भाग श्रम कर के रूप में ठेकेदारों के बिलों से वसूल किया जाना व हिमाचल प्रदेश भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक सहायता बोर्ड में जमा करवाया जाना अपेक्षित था । यह अनियमितता अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 288 दिनांक 20-10-2018 द्वारा कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् के ध्यानार्थ वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु लाई गई थी

लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ I अतः वर्णित अनियमितता का नियमानुसार औचित्य स्पष्ट किया जाए

अन्यथा उक्त श्रमकर राशि की उचित स्रोत से वसूली करके सम्बन्धित विभाग में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएI

29 बिजली के एम. एस. ट्यूबलर पोलों (tubular poles) की खरीद में पाई गई अनियमितताएं

वाउचर संख्या 704, 705 व 706 के अन्तर्गत दिनांक 19-06-17 को क्रमशः 50 नंबर, 50 नंबर व 30 नंबर =कुल 130 नंबर इलेक्ट्रिकल ट्यूबलर पोलों को क्रय करने पर मै० नवदीप इलेक्ट्रिकल एंड सिविल इंजिनियर्स मैहतपुर को ₹9880 प्रति पोल की दर से कुल ₹1284400 का भुगतान किया गया था जिसका अंकेक्षण करने पर निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई जिसका यथोचित समाधान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :-

(i) 130 नंबर एम. एस. ट्यूबलर पोलों को क्रय करने हेतु नगर परिषद् द्वारा कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं किया गया है व न ही उक्त प्रस्ताव कार्यवाही रजिस्टर में दर्ज है I अतः नगर परिषद् द्वारा प्रस्ताव पारित किए बिना 130 नंबर एम. एस. ट्यूबलर पोलों को क्रय करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए वर्णित क्रय को नगर परिषद् की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए I

(ii) नगर परिषद् द्वारा 130 नंबर एम. एस. ट्यूबलर पोलों का क्रय निविदाओं के आधार पर बिना प्रचार - प्रसार के स्थानीय स्तर (locally) पर किया गया है जबकि उक्त कार्य हेतु विस्तृत प्रचार - प्रसार उपरान्त नियमानुसार टेंडर लगवाये जाने अपेक्षित थे I अतः बिना टेंडरों के स्थानीय निविदाओं के आधार पर ₹1284400 के व्यय का नियमानुसार औचित्य स्पष्ट करते हुए वर्णित व्यय को सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए I

(iii) सक्षम अधिकारी का प्रशासनिक अनुमोदन व तकनीकी स्वीकृति मूल आकलन (Original estimate), बाजारीय दरों का विश्लेषण एवं विभागीय न्यायोचितता (departmental Justification) से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया I

अतः अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(iv) एम. एस. ट्यूबलर पोलों को अत्याधिक उच्च दरों ₹9880 प्रति पोल की दर से क्रय किया गया प्रतीत होता है जिस सन्दर्भ में विभागीय स्तर पर पूर्ण छानबीन करते हुए क्रय दरों को न्यायोचित एवं तर्कसंगत ठहराया जाए।

(v) साईट प्लान व वार्ड के अनुसार 130 Nos. एम. एस. ट्यूबलर पोलों को स्थापित करने व स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियों से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसे अब आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(vi) अंकेक्षण में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि क्या 130 नंबर एम. एस. ट्यूबलर पोलों नए स्थान पर लगाये गए हैं या पुराने पोलस की जगह लगाए गए हैं तथा यदि पुराने पोलों की जगह लगाये गए हैं, तो पुराने पोलों के निस्तारण से सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त उल्लिखित अनियमिताएं अंकेक्षण अधियाचना संख्या -284 दिनांक 16-10-18 द्वारा कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् के ध्यानार्थ अपेक्षित आवश्यक कार्यवाही करने हेतु लेकिन अंकेक्षण की समाप्ति तक कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

30 आवश्यक एवम नियमानुसार विहित औपचारिकताओं को पूर्ण किए बगैर ₹1.14 लाख के बिजली सामान का क्रय करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि विभिन्न व्यय वाऊचरों के अन्तर्गत, मैसर्स एन० के० ट्रेडिंग कंपनी मैहतपुर, जिला ऊना (हि० प्र०) से बिजली का सामान का क्रय करने हेतु निम्न विवरणानुसार ₹113740 का भुगतान किया गया था :-

क्रम सं०	वाऊचर संख्या/ माह	बिल संख्या/ दिनांक	क्रय सामान का विवरण	मात्रा (Nos में)	दर (₹) per item	भुगतान मूल्य (₹)
1	169 / 7/16	15 / 11-04-16	ट्यूब रोड 40 वाट	250	42.6	10650
			ट्यूब चोक	120	185	22200
			ट्यूब स्टार्टर	250	9.8	2450
			ट्यूब साइड होल्डर	150	9	1350
			सी एफ एल 23 वाट	100	230	23000

			सी एफ एल 85 वाट	50	695	34750
			सी एफ एल होल्डर 23 वाट	50	35	1750
			सी एफ एल होल्डर 85 वाट	15	50	750
			पी वी सी इंसुलिन टेप	30	10	300
					योग	97200
2	169 /	16/	पी वी सी तार 6 एम एम	10 रोल	1150	11500
	7/16	11-04-	पी वी सी तार 25 एम एम	2 रोल	670	1340
		16	पी वी सी तार 10 एम एम	2 रोल	1850	3700
					योग	16540

क्रम संख्या (1) व (2) का कुल योग (97200+16540)= 113740

उपरोक्त वस्तुओं के क्रय हेतु किए गए भुगतान में निम्नलिखित अनियमिताएं पाई गई जिनका यथोचित समाधान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :-

(i) उपरोक्त क्रम संख्या (1) व (2) पर उल्लिखित विवरणानुसार क्रय 113740 बिजली के सामान में से केवल पी वी सी तार 25एम. एम. व पी. वी. सी. तार 10 एम. एम. के क्रय हेतु नियमानुसार ही निविदाएँ आमंत्रित की गई थी जबकि ₹97200 के अन्य सामान क्रय हेतु निविदाएँ आमंत्रित नहीं की गई है। उक्त बिजली के सामान को क्रय करने से पूर्व आवश्यक एवं निर्धारित औपचारिकताएँ पूर्ण न करने के फलस्वरूप ऐसा प्रतीत होता है कि फर्म विशेष को अप्रत्याशित लाभ देने के प्रयोजन से बिना बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाए, उक्त सामान का क्रय उच्च दरों पर किया गया है जोकि गम्भीर वित्तीय अनियमितता है जिसका नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए इसे सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए व भविष्य में उक्त प्रकार की अनियमितता न दोहराने हेतु प्रभावी कदम उठाए जाने सुनिश्चित किए जाए।

(ii) उपरोक्त क्रम संख्या 2 पर उल्लेखित क्रय बिजली के सामान पी. वी. सी. तार 25 एम. एम. 2 रोल व पी. वी. सी. तार 10 एम. एम. 2 रोल की स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व जारी करने से सम्बन्धित प्रविष्टियां दर्ज नहीं थी जिसके अभाव में उक्त क्रय किए गए सामान के दुरुपयोग की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः अपेक्षित कार्यवाही करके वर्णित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

31 नियमानुसार अपेक्षित अभिलेख का रख रखाव न करना

(क) शीर्षवार वर्गीकृत खाता बहियाँ

नगर परिषद द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 व 2017-18 के दौरान विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत आय ₹ 25256600, 25930919 व व्यय ₹ 23507393, 24898385 किया गया दर्शाया है लेकिन आय व व्यय की मदवार खाताबहियाँ तैयार नहीं की गई थी। जिसके अभाव में वित्तीय वर्ष 2016-17 व 2017-18 के दौरान प्रत्येक शीर्ष के अन्तर्गत प्राप्त आय और किए गए व्यय की अंकेक्षण में सत्यापना सम्भव न हो सकी। अतः शीर्षवार वर्गीकृत खाताबहियाँ तैयार करने उपरांत सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए।

(ख) बजट रजिस्टर

नगर परिषद द्वारा व्यय से सम्बन्धित बजट रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया गया था जबकि नियमानुसार बजट रजिस्टर का अनुरक्षण करना अनिवार्य है, ताकि स्वीकृत बजट के अनुसार ही व्यय पर नियन्त्रण रखा जा सके। अतः वित्तीय वर्ष 2016-17 व 2017-18 का बजट रजिस्टर तैयार करके आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ग) कर्मचारी अंशदान व नियोक्ता अंशदान का रजिस्टर

नगर परिषद द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 व 2017-18 का कर्मचारी अंशदान व नियोक्ता अंशदान का रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था जिसे तैयार करने उपरांत सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(घ) सावधिक निवेश रजिस्टर

वित्तीय वर्ष 2016-17 व 2017-18 में सावधिक निवेश के अन्तर्गत निवेशित राशियों को सावधिक निवेश रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया था जबकि सावधिक निवेश के अन्तर्गत निवेशित राशियों को सावधिक निवेश रजिस्टर में दर्ज किया जाना अनिवार्य है। अतः वित्तीय वर्ष 2016-17 व 2017-18 में सावधिक निवेश रजिस्टर तैयार करने के उपरान्त सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

- 32 लघु आपति विवरणिका:- यह अलग से जारी नहीं की गई थी तथा सभी लघु आपतियों का स्थल पर ही निपटारा कर लिया गया था ।
- 33 निष्कर्ष :- लेखों के रख-रखाव में सुधार की नितान्त तथा गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के लम्बित पैरों के निस्तारण हेतु ठोस कार्यवाही करने की आवश्यकता है ।

हस्ता /-
(हेमराज भारद्वाज)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश शिमला-171009.
फोन नं0 0177-26020881

पृष्ठांकन संख्या :- V(25) फिन(एल0ए0)-खण्ड-6-789-790 दिनांक:07-06-2019
शिमला-171009,

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- पंजीकृत
- 1 निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश शिमला-171002 को पैरा संख्या: (ख) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है ।
 - 2 कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद सन्तोषगढ़, तहसील हरोली, जिला ऊना (हिमाचल प्रदेश) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपतियों का सटिप्पण उत्तर प्रतिवेदन जारी होने से एक माह के भीतर इस विभाग को प्रेषित करें ।

हस्ता /-
(हेमराज भारद्वाज)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश शिमला-171009.
फोन नं0 0177-26020881

परिशिष्ट - (क) पैरा संख्या -1 (ग) से संदर्भित

गत अंकेक्षण एवम निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों की सूची :-

(क) अंकेक्षण एवम निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 10/1970 से 3/1980

- | | |
|------------------------------|----------|
| 1) पैरा – 9 (i) | अनिर्णीत |
| 2) पैरा – 9 (vi) | अनिर्णीत |
| 3) पैरा – 10 (i)(ii) | अनिर्णीत |
| 4) पैरा – 11 (ए) | अनिर्णीत |
| 5) पैरा – 12 (ए) | अनिर्णीत |
| 6) पैरा – 13 (ए)(बी) | अनिर्णीत |
| 7) पैरा – 13 (ई) से (जी) | अनिर्णीत |
| 8) पैरा – 13 (एल) | अनिर्णीत |
| 9) पैरा – 13 (एस) | अनिर्णीत |
| 10) पैरा – 13 (टी) | अनिर्णीत |
| 11) पैरा – 13 (यू) | अनिर्णीत |
| 12) पैरा – 13 (डब्ल्यू) | अनिर्णीत |
| 13) पैरा – 13 (जैड) (ए० सी०) | अनिर्णीत |
| 14) पैरा – 13 (जैड) (ए० डी०) | अनिर्णीत |
| 15) पैरा – 13 (जैड) (ए० ई०) | अनिर्णीत |
| 16) पैरा – 14 | अनिर्णीत |
| 17) पैरा – 16 (ए) से (ई) | अनिर्णीत |
| 18) पैरा – 17 (ए) | अनिर्णीत |
| 19) पैरा – 17 (डी) | अनिर्णीत |

(ख) अंकेक्षण एवम निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1980 से 3/1981

- | | |
|-------------------|----------|
| 1) पैरा – 6(बी) | अनिर्णीत |
| 2) पैरा – 7 (बी) | अनिर्णीत |
| 3) पैरा – 9 | अनिर्णीत |
| 4) पैरा – 10 (सी) | अनिर्णीत |

- | | | |
|----|-----------------------|----------|
| 5) | पैरा – 10 (ई) | अनिर्णीत |
| 6) | पैरा – 10 (एफ) | अनिर्णीत |
| 7) | पैरा – 12 (ए) से (सी) | अनिर्णीत |
| 8) | पैरा – 13 | अनिर्णीत |
| 9) | पैरा – 15 (एच) | अनिर्णीत |

(ग) अंकेक्षण एवम निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1981 से 3/1984

- | | | |
|-----|----------------------------|----------|
| 1) | पैरा – 7 | अनिर्णीत |
| 2) | पैरा – 16 | अनिर्णीत |
| 3) | पैरा – 19 (बी) | अनिर्णीत |
| 4) | पैरा – 23 (ए) | अनिर्णीत |
| 5) | पैरा – 27 | अनिर्णीत |
| 6) | पैरा – 37 (बी) (iii) | अनिर्णीत |
| 7) | पैरा – 39 | अनिर्णीत |
| 8) | पैरा – 40 (ए) (बी) | अनिर्णीत |
| 9) | पैरा – 40 (बी) (i) से (vi) | अनिर्णीत |
| 10) | पैरा – 41 | अनिर्णीत |
| 11) | पैरा – 41 (ए) से (ओ) | अनिर्णीत |

(घ) अंकेक्षण एवम निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1984 से 03/1985

- | | | |
|----|------------------------|----------|
| 1) | पैरा – 15 (6)(7) | अनिर्णीत |
| 2) | पैरा – 15 (9) | अनिर्णीत |
| 3) | पैरा – 15 (12) से (15) | अनिर्णीत |

(ङ.) अंकेक्षण एवम निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1985 से 03/1986

- | | | |
|----|----------|----------|
| 1) | पैरा – 5 | अनिर्णीत |
|----|----------|----------|

2) पैरा – 15 (3) अनिर्णीत

(च) श्री टी० आर० लखनपाल परीक्षक का दिनांक 28.04.1987 का अंकेक्षण एवं निरीक्षण

1) पैरा – 1 (ए) अनिर्णीत

(छ) अंकेक्षण एवम निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1986 से 03/1987

1) पैरा – 7 (i) से (iii) अनिर्णीत

2) पैरा – 8 अनिर्णीत

(ज) अंकेक्षण एवम निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1987 से 3/1991

1) पैरा – 5 (क) अनिर्णीत

2) पैरा – 5 (ग) से (ज) अनिर्णीत

3) पैरा –6 (ख) से (ड.) अनिर्णीत

4) पैरा –6 (छ) (i) अनिर्णीत

5) पैरा –6 (ज) अनिर्णीत

6) पैरा –7 (क) अनिर्णीत

7) पैरा –8 अनिर्णीत

8) पैरा –9 (क) से (ड.) अनिर्णीत

9) पैरा –11 अनिर्णीत

10) पैरा –12 अनिर्णीत

11) पैरा – 13 अनिर्णीत

12) पैरा –14 (क) व (ख) अनिर्णीत

13) पैरा –15 (क) (ख) (ग) अनिर्णीत

14) पैरा –16 (क) अनिर्णीत

15) पैरा –17 (क) (ख) अनिर्णीत

16) पैरा –18 अनिर्णीत

17) पैरा –19 (क) (ख) (ग) अनिर्णीत

18) पैरा –20 (क) (ख)	अनिर्णीत
19) पैरा –21	अनिर्णीत
20) पैरा – 22 (क) से (ग)	अनिर्णीत
21) पैरा – 24	अनिर्णीत
22) पैरा – 25 (क) (ख)	अनिर्णीत
23) पैरा – 26	अनिर्णीत
24) पैरा –27 (क)	अनिर्णीत
25) पैरा – 28	अनिर्णीत
26) पैरा – 29 (ख)	अनिर्णीत

(झ) अंकेक्षण एवम निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1991 से 3/1995

1) पैरा – 3 (क)	अनिर्णीत
2) पैरा – 5	अनिर्णीत
3) पैरा – 6 (ख) से (घ)	अनिर्णीत
4) पैरा – 6 (ज)	अनिर्णीत
5) पैरा – 7 (क)	अनिर्णीत
6) पैरा – 9 (क) से (घ)	अनिर्णीत
7) पैरा – 9(viii)	अनिर्णीत
8) पैरा – 9 (ix)	अनिर्णीत
9) पैरा – 9 (x)	अनिर्णीत
10) पैरा – 9 (xii)	अनिर्णीत
11) पैरा – 9 (xiii)	अनिर्णीत
12) पैरा – 9 (xiv)	अनिर्णीत
13) पैरा – 9 (xvii)	अनिर्णीत
14) पैरा – 9 (xviii)	अनिर्णीत
15) पैरा – 9 (xxiv)	अनिर्णीत
16) पैरा – 9 (xxvii)	अनिर्णीत

17) पैरा – 9 (xxviii)	अनिर्णीत
18) पैरा – 9 (xxx)	अनिर्णीत
19) पैरा – 9 (xxxii)	अनिर्णीत
20) पैरा – 9 (xxxv)	अनिर्णीत
21) पैरा – 9 (xxxviii)	अनिर्णीत
22) पैरा – 9 (xxxx)	अनिर्णीत
23) पैरा – 9 (xxxxv)	अनिर्णीत
24) पैरा – 9 (xxxxvi)	अनिर्णीत
25) पैरा – 9 (xxxxviii)	अनिर्णीत
26) पैरा – 13(i)	अनिर्णीत
27) पैरा – 13(ii)	अनिर्णीत
28) पैरा – 13(viii)	अनिर्णीत
29) पैरा – 13 (ix)	अनिर्णीत

(ज) अंकेक्षण एवम निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/1995 से 3/2004

1) पैरा – 19	अनिर्णीत
2) पैरा – 21	अनिर्णीत
3) पैरा – 25	अनिर्णीत
4) पैरा – 27	अनिर्णीत
5) पैरा – 28	अनिर्णीत
6) पैरा – 29	अनिर्णीत
7) पैरा – 30	अनिर्णीत
8) पैरा – 32	अनिर्णीत
9) पैरा – 33	अनिर्णीत
10) पैरा – 34	अनिर्णीत
11) पैरा – 37	अनिर्णीत
12) पैरा – 39	अनिर्णीत

13) पैरा – 41	अनिर्णीत
14) पैरा – 42	अनिर्णीत
15) पैरा – 46	अनिर्णीत
16) पैरा – 47	अनिर्णीत
17) पैरा – 48	अनिर्णीत
18) पैरा – 49	अनिर्णीत
19) पैरा – 50	अनिर्णीत
20) पैरा – 51	अनिर्णीत
21) पैरा – 52	अनिर्णीत

(ट) अंकेक्षण एवम निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2007 से 3/2010

1) पैरा – 6 (7) (1) से (3)	अनिर्णीत
2) पैरा – 8 (1)(i)(ii)	अनिर्णीत
3) पैरा – 8 (4)	अनिर्णीत
4) पैरा – 8 (5)	अनिर्णीत
5) पैरा – 8 (6)(i)(ii)	अनिर्णीत
6) पैरा – 9 (2)	अनिर्णीत
7) पैरा – 9 (5)	अनिर्णीत
8) पैरा – 9 (6) (i)	अनिर्णीत

(ठ) अंकेक्षण एवम निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2010 से 3/2012

1) पैरा – 4 (ग)	अनिर्णीत
2) पैरा – 5 (ख) (ii)	अनिर्णीत
3) पैरा – 5 (घ)	अंशत निर्णीत
4) पैरा – 6 (ख) (v)	अंशत निर्णीत
5) पैरा – 6 (ख) (vi)	अंशत निर्णीत
6) पैरा – 6 (ख) (vii)	अंशत निर्णीत
7) पैरा – 7	अनिर्णीत
8) पैरा – 8 (ख)	अनिर्णीत

9) पैरा – 8 (ग)	अनिर्णीत
10) पैरा – 12 (घ)	अनिर्णीत
11) पैरा – 22	अनिर्णीत
12) पैरा – 23	अनिर्णीत
13) पैरा – 29 (ख)	अनिर्णीत
14) पैरा – 29 (ग)	अनिर्णीत
15) पैरा – 30 (ख)	अनिर्णीत
16) पैरा – 31	अनिर्णीत

(ड) अंकेक्षण एवम निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2012 से 3/2014

1) पैरा – 4 (ग) (1) से (3)	अनिर्णीत
2) पैरा – 6 (ग) से (छ)	अनिर्णीत
3) पैरा – 7	अनिर्णीत
4) पैरा – 8 (घ) से (छ)	अनिर्णीत
5) पैरा – 9 (छ)	अंशत निर्णीत
6) पैरा – 9 (झ) से (ञ)	अंशत निर्णीत
7) पैरा – 12	अनिर्णीत
8) पैरा – 13	अनिर्णीत
9) पैरा – 16	अनिर्णीत
10) पैरा – 17	अनिर्णीत

(ढ) अंकेक्षण एवम निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2014 से 3/2016

1) पैरा – 4.3	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण एवम निरीक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या –4 (ग, घ) पर प्रारूपित है 1
2) पैरा – 5	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण एवम निरीक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या –5 पर प्रारूपित है 1
3) पैरा – 5.1	निर्णीत	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण एवम निरीक्षण

प्रतिवेदन के पैरा संख्या –6 पर प्रारूपित है।

- | | | |
|-----------------|----------|---|
| 4) पैरा – 6 | अनिर्णीत | |
| 5) पैरा – 7 | अनिर्णीत | |
| 6) पैरा – 8 | अनिर्णीत | |
| 7) पैरा – 9 | निर्णीत | नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण एवम निरीक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या – 9 पर प्रारूपित है। |
| 8) पैरा – 9.1 | निर्णीत | नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण एवम निरीक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या –10 पर प्रारूपित है। |
| 9) पैरा – 9.2 | अनिर्णीत | |
| 10) पैरा – 10 | निर्णीत | नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण एवम निरीक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या –12 पर प्रारूपित है। |
| 11) पैरा – 10.1 | निर्णीत | नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण एवम निरीक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या –12 पर प्रारूपित है। |
| 12) पैरा – 10.2 | अनिर्णीत | |
| 13) पैरा – 10.3 | निर्णीत | नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण एवम निरीक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या -14 पर प्रारूपित है। |
| 14) पैरा – 10.4 | निर्णीत | नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण एवम निरीक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या -15 पर प्रारूपित है। |
| 15) पैरा – 11 | निर्णीत | नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण एवम निरीक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या -16 पर प्रारूपित है। |
| 16) पैरा – 12 | निर्णीत | ₹121507 की वसूली की पुष्टि उपरान्त |
| 17) पैरा – 13 | निर्णीत | नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण एवम निरीक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या -17 पर प्रारूपित है। |
| 18) पैरा – 14 | अनिर्णीत | |
| 19) पैरा – 15 | निर्णीत | ₹744748 की वसूली की पुष्टि उपरान्त |
| 20) पैरा – 16 | अनिर्णीत | |
| 21) पैरा – 17 | अनिर्णीत | |

22) पैरा – 18	अनिर्णीत	
23) पैरा – 19	अनिर्णीत	
24) पैरा – 20 (क)	अनिर्णीत	
25) पैरा – 20 (ख)	अनिर्णीत	
26) पैरा – 21	अनिर्णीत	
27) पैरा – 22 (क)	स्वतः निर्णीत	
28) पैरा – 22 (ख)	निर्णीत	₹9174 की वसूली की पुष्टि उपरान्त
29) पैरा – 23	निर्णीत	₹4200 की वसूली की पुष्टि उपरान्त
30) पैरा – 24	निर्णीत	₹1162 की वसूली की पुष्टि उपरान्त
31) पैरा – 25	निर्णीत	(कनिष्ठ सहायक को पुनः लिपिक बनाने की पुष्टि उपरान्त)
32) पैरा – 26	अनिर्णीत	
33) पैरा – 27	अनिर्णीत	
34) पैरा – 28 (i)	अनिर्णीत	
35) पैरा – 28(ii)	अनिर्णीत	
36) पैरा – 29	अनिर्णीत	
37) पैरा – 30 (क)	निर्णीत	₹5455 की वसूली की पुष्टि उपरान्त)
38) पैरा – 30 (ख)	अनिर्णीत	
39) पैरा – 30 (ग)	अनिर्णीत	
40) पैरा – 30 (घ)	अंशतः निर्णीत	₹1476 की वसूली की पुष्टि उपरान्त व ₹2501 की वसूली अभी शेष है।
41) पैरा – 30 (ङ.)	अनिर्णीत	
42) पैरा – 30 (च)	अनिर्णीत	
43) पैरा – 31	अनिर्णीत	
44) पैरा – 32	अनिर्णीत	
45) पैरा – 33	अनिर्णीत	

- 46) पैरा – 34 अनिर्णीत
47) पैरा – 35 अनिर्णीत
48) पैरा – 36 अनिर्णीत
49) पैरा – 37 अनिर्णीत
50) पैरा – 38 अनिर्णीत

अनिर्णीत पैरा का सार

प्रारम्भिक शेष	191
लगाए गए पैरे	(+) 29
निर्णीत पैरे	(-) 19
अन्तशेष	201